न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 11/2018

अपीलाण्ट		बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1	मगनलाल पुत्र भमराजी	1	मंछाराम पुत्र बाबुजी
2	शंकरलाल पुत्र भमराजी	2	रतीलाल पुत्र बाबूजी
3	भुरी बेवा भमराजी	3	हंसाराम पुत्र बाबूजी जातिगण माली निवासीगण जावाल तहसील व जिला सिरोही
4	बदाराम पुत्र गेनाजी	4	राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिरोही
5	पीथाराम पुत्र गेनाजी		
6	भूताराम पुत्र गेनाजी		
7	प्रेमी पत्नी गेनाजी		
8	छोगाराम पुत्र मुपाजी		
9	ताराराम पुत्र मुपाजी		
10	रमेश पुत्र मुपाजी जातिगण माली निवासीगण जावाल तहसील व जिला सिरोही		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 6/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2015 मगन व अन्य बनाम मंछाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2018 को अपास्त कराने, का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोर्डेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की सह खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत उक्त भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किए बिना ही दिनांक 16.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

डिक्री से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा 100/– के स्टाम्प पर एक आपसी समझौता तैयार किया गया, जिसमें नजरी नक्शा बनाकर नक्शे के मुताबिक बंटवाडा करवाना स्वीकार किया, उक्त समझौता एवं नजरी नक्शे को अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस दस्तावेज को भी दरकिनार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा लिखित आपत्ति भी प्रस्तुत की, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं माना तथा जैर अपील निर्णय के जरिये अन्तिम डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उस समय मौके पर उपस्थित होने हेतु न तो अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी किया गया तथा न ही कोई सूचना प्रदान की गई। पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा सड़क से लगती हुई भूमि रेस्पोडेन्ट्स को प्रदान की गई है तथा अपीलाण्ट को पीछे की भूमि दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश पारित किए गए थे, किन्तु बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हुआ ही नहीं। जब आपसी सहमति से हुए विभाजन समझौते के अनुसार निवेदन किया गया था, इसकें बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुँचाने की मंशा से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अपने हिस्से अनुसार भूमियों का कथन करते हुए विभाजन का वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के पद संख्या 2 में यह अंकित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण यह स्वीकार करते है कि जैर अपील वादस्थ भूमि का 20–25 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है। इसी प्रकार पैरा संख्या 3 में भी यह अंकित किया कि अलग अलग काश्त करते है। सही नाप नहीं होने से झगडा होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा एवं नक्शा मौका प्रस्तुत किया, जिसमें खातेदारान् के हिस्से अनुसार काबिज भूमि कीं प्रस्थिति को दर्शित किया है। रेस्पोडेन्ट्स के जवाबदावे का कोई जवाबुल जवाब अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्राथमिक डिक्री पारित की है, उसमें स्पष्ट अंकित है कि मौके पर स्थित कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि वादीगण का हिस्सा संयुक्त रखा गया है अलग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.01.2016 के जिस समझौते के तथ्य अपीलाण्ट जाहिर करते है, उक्त समझौता से सम्बन्धित दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित ही नहीं हुए। अपीलाण्ट द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का अनुतोष चाहा तथा न्यायालय द्वारा वही प्रदान किया गया है। सड़क के समीप की भूमि रेस्पोडेन्ट्स को प्रदान की गई है तथा कुंए के समीप की भूमि अपीलाण्ट को प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा तथा मौके की स्थिति को दर्शित करने हेतु नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण पत्रावली में दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प उड में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि की जमाबन्दी में दर्ज पक्षकारान् के दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे काश्त को यथावत रखते हुए रास्तो, सुखाचारों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान् के उपस्थिति में स्वयं की देखरेख में पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस सहित न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश तहसीलदार सिरोही को दिये गए। उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने पत्रांक/2531 दिनांक 07.11.2017 के जरिये विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2017 को आपत्ति प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उज्र यह रहा कि प्राथमिक डिक्री की पालना में संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलाण्ट को मौके पर नहीं बुलाया गया तथा द्वितीय उज्र यह रहा कि अपीलाण्ट को भूमि पृथक पृथक नहीं दी जाकर सम्मिलित रूप से दी गई है। उक्त आपत्ति का जवाब प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट ने कथन किए कि पटवारी हल्का द्वारा समस्त खातेदारान् को मौके पर बुलाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा जिस रूप में पक्षकारान् मौके पर काबिज काश्त है, उसी रूप में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त आपत्ति को निस्तारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन को प्रस्ताव को उचित मानते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में यह अंकित किया कि स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया तथा मौके की स्थिति के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार होने एवं रास्ते तथा सुखाचार में किसी प्रकार की बाधा नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2015 मगन व अन्य बनाम मंछाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2018 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 6-8-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान),
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही